उद्योग बन्धु की त्रिपक्षीय बैठक के परिणामों से उद्यमियों को बंधी आस

लखनऊ, 22 फरवरी 2013

'उद्योग बन्धु' के अधिशासी निदेशक व प्रमुख सचिव– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री राजीव कपूर की अध्यक्षता में उद्यमियों की लम्बित समस्याओं के केस–टू–केस आधार पर निराकरण हेतु त्रिपक्षीय बैठकों का तीन दिवसीय सिलसिला आज उत्साहजनक रूप से समाप्त हुआ। इस बात पर जोर दिया गया कि सरकारी विभागों द्वारा उद्यमियों के प्रकरणों पर और अधिक साकारात्मक व त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन त्रिपक्षीय बैठकों में प्रदेश के उद्यमियों की विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल 38 प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। बैठकों में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय प्रतिभाग किया।

इन तीन दिनों में महत्वपूर्ण औद्योगिक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें उद्योगों पर लागू गृह कर की दर, सम्पर्क मार्गों का विकास व चौड़ीकरण, प्रदूषण, मण्डी शुल्क, स्टैम्प ड्यूटी, आबकारी शुल्क आदि से छूट, विद्युत संयोजन, औद्योगिक प्लाटों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत पारेषण लाइनों के विस्थापन, औद्योगिक भूखण्डों के भौतिक कब्जे आदि शामिल हैं।

जिन प्रकरणों का समाधान किया गया वे प्रमुख रूप से इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से छूट, औद्योगिक भू–खण्ड का कब्जा, फ्लोर एरिया रेशिओ (एफ.ए.आर.) का बढ़ाया जाना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, तथा मण्डी शुल्क से छूट आदि से सम्बन्धित हैं।

कुछ नीति–विषयक प्रकरणों को मुख्य सचिव स्तर पर आगामी माह में विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्णय किया गया।

ज्ञात हो कि उद्योग बन्धु प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की नोडल संस्था है, जो उद्यमियों के लम्बित मामलों के निवारण के लिए त्रिपक्षीय बैठक कराता है, जिसमें उद्यमी व सम्बन्धित विभाग के मध्य बैठक कराई जाती है और समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय लिये जाते हैं।